न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 40/2023

प्रभूदयाल पुत्र छिद्दा जाति कुशवाह निवासी नगला पीतू तहसील उच्चैन ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये
2. तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
3. छोटी देवी पत्नि मुन्नालाल जाति कोली निवासी भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
4. मुन्नालाल पुत्र किशना जाति कोली निवासी भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....असल अप्रार्थीगण

5. तेजसिंह पुत्र छिद्दा जाति कुशवाह निवासी नगला पीतू तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पूर्वजों की छोडी हुई व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 886/2 साविक व हाल खसरा नम्बर 249/0.33 वाके ग्राम नगला पीतू तहसील उच्चैन में स्थित है। पूर्व में नगला पीतू एवं भैंसा एक ही राजस्व विपेज था और उस राजस्व विपेज भैंसा में एक खसरा नम्बर 886मिन नम्बर था और वह बहुत बडा नम्बर था उस 886मिन नम्बर में अनेकों सहखातेदार थे और वह अपने अपने कब्जे के हिसाब से काबिज काश्त करते चले आ रहे थे और आज दिनांक तक अपने अपने कब्जे काश्त के हिसाब से जोतते बोते चले आ रहे है। राजस्व ग्राम भैंसा से जब राजस्व ग्राम नगला पीतू बनाया गया तो उस समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व ग्राम नगला पीतू में प्रार्थी की काबिज आराजी खसरा नम्बर हाल 249 पर ग्राम भैंसा के अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है और इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर गत 886/2/19 हाल खसरा नम्बर 812 पर प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है जो कतई मौके के विपरीत है। उक्त रिकार्ड की शुद्धि हेतु प्रार्थी ने जब दिनांक 5.10.2023 को अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से उचित आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर हाल आराजी खसरा नम्बर 249 पर अप्रार्थीगण के नाम के स्थान पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु इनके द्वारा पत्रावली पर कोई

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

भी जबाव पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि:–

1. वाके ग्राम भैंसा की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में खता संख्या 224 खसरा नम्बर 812 रकवा 0.32है0 किस्म गैर मुमकिन में तेजसिंह हि. 1/5 बिना रहन प्रभूदयाल पुत्र छिद्दा हि. 4/5 राहिन बीआरकेजीबी पिचूना कौम काछी(कुशवाह) सा. देह खातेदार दर्ज है जिसका साविक खसरा नम्बर 886 मिन 19 रकवा 2–00 बीघा है।
2. वाके ग्राम नगला पीतू में जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में खाता सं 101 पर खसरा नम्बर 249 रकवा 0.33 किस्म गैर मुमकिन में छोटीदेवी पत्नि मुन्नालाल हि. 1/2 मुन्नालाल पुत्र किशना हि. 1/2 कौम कोली सा. भैंसा खातेदार दर्ज है, जिसका साविक खसरा नम्बर 886 मिन 20 रकवा 2–00बीघा है।
3. जमाबंदी सम्वत् 2064–67 वाके ग्राम भैंसा में खसरा नम्बर 886 मिन 19 रकवा 2–00बीघा एवं खसरा नम्बर 886 मिन 20 रकवा 2–00बीघा में ही इन्द्राज है। अर्थात ग्राम भैंसा एवं नगला पीतू की एक ही जमाबन्दी ग्राम भैंसा थी इसके पश्चात् सम्वत् 2068–71 बनी जो वर्तमान में सम्वत् 2075–78 तक निरन्तर है।
4. पुराने नक्शा में ग्राम भैंसा व नगला पीतू का एक ही नक्शा था जिसमें ख.नं. 886 एक ही नम्बर था अर्थात खसरा नम्बर 886 के मिन नम्बरों की कोई तरमीम नहीं है।
5. खसरा नम्बर 812 रकवा 0.32है0 के खातेदार ग्राम भैंसा के स्थान पर ग्राम नगला पीतू के खसरा नम्बर 249 रकवा 0.33है0 पर काबिज एवं काश्त है तथा खसरा नम्बर 249 वाके ग्राम नगला पीतू के खातेदार ग्राम भैंसा के ख.नं. 812 पर काबिज एवं काश्त है। यह स्थिति ग्राम नगला पीतू के नये राजस्व ग्राम बनने से पूर्व से ही है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी के पूर्वजों की छोडी हुई व कब्जे की आराजी है पूर्व में उक्त आराजी खसरा नम्बर 249/0.33 वाके ग्राम नगला पीतू का साबिक नम्बर 886 था जो कि राजस्व ग्राम भैंसा में था परन्तु राजस्व ग्राम भैंसा से जब राजस्व ग्राम नगला पीतू बनाया गया तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी की काबिज आराजी खसरा नम्बर हाल 249 वाके ग्राम नगला पीतू पर ग्राम भैंसा के अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है और इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर गत 886/2/19 हाल खसरा नम्बर 812 वाके ग्राम भैंसा पर प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है जो कतई मौके के विपरीत है। खसरा नम्बर 249 में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के स्थान पर प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी एवं खसरा नम्बर 812 में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर रिकार्ड में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमबांदी सम्बत् 2075–78, नक्शा ट्रेस हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

म्बरान बाके ग्राम नगला पीतू एवं भैंसा, नक्शा ट्रेस सम्बत् 1985 वाके ग्राम भैंसा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 812 का रकवा 0.32है0 दर्ज रिकार्ड है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 249 का रकवा 0.33है0 दर्ज रिकार्ड है स्पष्टतः दोनों खसरा नम्बरों के रकवा में भिन्नता है एवं दोनों खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न राजस्व ग्राम में स्थित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)